International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 12-03-2023, Accepted: 27-03-2023, Published: 13-04-2023
Volume 9, Issue 2, 2023, Page No. 81-83

# महात्मा गांधी, प्रवासी दिवस एवं प्रवासी भारतीयः एक अध्ययन

**अखिलेश पाल**
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कालेज, प्रयगराज, उत्तर प्रदेश, भारत

**सारांश**
प्रवासी भारतीय जहां–जहां बसे वहां उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान की और बहुत कम समय में अपना स्थान बना लिया। वे मजदूर, व्यापारी, शिक्षक अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, डाक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में दुनियाभर में स्वीकार किए गए। प्रवासियों की सफलता का श्रेय उनकी परंपरागत सोच, सांस्कृतिक मूल्यों और शैक्षणिक योग्यता को दिया जा सकता है। कई देशों में वहां के मूल निवासियों की अपेक्षा भारतवंशियों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण भारत की विदेशों में छवि निखरी है। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत आर्थिक विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

**मूल शब्दः** महात्मा गांधी, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय

प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपनी नागरिकता वाले देश से बाहर रहता है। यह शब्द अक्सर एक पेशेवर या कुशल श्रमिक को संदर्भित करता है जो अपने मूल देश में लौटने का इरादा रखता है। हालाँकि, यह सेवानिवृत्त लोगों, कलाकारों और अन्य व्यक्तियों को भी संदर्भित कर सकता है जिन्होंने अपने मूल देश से बाहर रहना चुना है। शब्द 'डायस्पोरा' ग्रीक शब्द डायस्पेयरिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'फैलाव। डायस्पोरा ग्रीक मूल का शब्द है जिसका अर्थ है बीज विखेरना या बुआई करना। यह उन लोगों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो रोजगार, व्यापार या किसी अन्य प्रयोजन से अपनी जन्मभूमि छोड़ देते और विश्व के दूसरे भागों में निवास करते हैं। भारतीय डायस्पोरा एक जेनेरिक शब्द है जो उन लोगों को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने भूभागों से उत्प्रवास किया है जो वर्तमान में भारत गणतंत्र की सीमा के भीतर हैं। इनमें एनआरआई (अनिवासी भारतीय) और पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) आते हैं। भारतीय डायस्पोरा 30 मिलियन से अधिक होने का अनुमान हैं। भारत सरकार भारतीय डायस्पोरा के महत्व को समझती है क्योंकि इसने भारत को आर्थिक, वित्तीय और वैश्विक लाभ पहुंचाया है।आज भारतीय डायस्पोरा विश्व की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और कुछ अर्थों में विशिष्ट बल बनाता है। इस अनुभाग में भारत सरकार द्वारा भारतीय डायस्पोरा को प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों का ज्ञान गहराई से देते हुए उसकी बोधात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है.

जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं उन्हे प्रवासी भारतीय कहते हैं। ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। 48 देशों में रह रहे प्रवासियों की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। इनमें से 11 देशों में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय वहां की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां की आर्थिक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफी मजबूत है। वे विभिन्न देशों में रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं परन्तु वहां के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण ही साझा पहचान मिली है और यही कारण है जो उन्हें भारत से गहरे जोड़ता है।

प्रवासी भारतीय जहां–जहां बसे वहां उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान की और बहुत कम समय में अपना स्थान बना लिया। वे मजदूर, व्यापारी, शिक्षक अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, डाक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में दुनियाभर में स्वीकार किए गए। प्रवासियों की सफलता का श्रेय उनकी परंपरागत सोच, सांस्कृतिक मूल्यों और शैक्षणिक योग्यता को दिया जा सकता है। कई देशों में वहां के मूल निवासियों की अपेक्षा भारतवंशियों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण भारत की विदेशों में छवि निखरी है। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत आर्थिक विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

## अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीय (Non & Resident Indian-NRI) का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं या जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 (।) के दायरे में 'विदेशी भारतीय नागरिक' कार्डधारक हैं। वह वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में नहीं रहा है या यदि वह उस वर्ष से पहले 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से कम और उस वर्ष में 60 दिनों से कम समय तक भारत में रहा है।

## भारतीय मूल का व्यक्ति

भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin - PIO) का मतलब एक विदेशी नागरिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर) से है, जो वह व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो या उनके माता–पिता, दादा दादी, परदादा–दादी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ था और स्थायी रूप से निवास किया था या जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति से हुई है। भारतीय मूल के व्यक्ति श्रेणी को वर्ष 2015 में समाप्त कर भारतीय मूल के व्यक्ति श्रेणी के साथ विलय कर दिया गया था।

## ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया

प्रवासी भारतीयों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक छद्म नागरिकता योजना बनाई गई, जिसे 'विदेशी भारतीय नागरिकता' आमतौर पर ओसीआई कार्डधारक के रूप में जाना जाता है। प्रवासी भारतीयों को अनिवासी भारतीयों के समान सभी अधिकार

(कृषि एवं बागान अधिग्रहण का अधिकार) दिए गए हैं। वर्ष 2005 में OCIs की एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। विदेशी नागरिक को OCIs कार्ड दिया जाता है जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक होने के योग्य था। 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र से संबंधित था। ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे, सिवाय उनके जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं, भी OCIs कार्ड के लिये पात्र हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय प्रवासियों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 जनवरी 2002 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में समिति की रिपोर्ट प्राप्त की और 9 जनवरी 2002 को ''प्रवासी भारतीय दिवस'' (पीबीडी) की घोषणा की। यह दिन 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी को चिह्नित करने के लिए चुना गया था। इस अवसर पर असाधारण योग्यता वाले एनआरआईध्पीआईओ व्यक्तियों के योगदान को पहचानने, अपने चुने हुए क्षेत्रध्पेशे में असाधारण योगदान देने वाले एनआरआईध्पीआईओ व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं (प्रवासी भारतीय सम्मान (हिंदीः एनआरआईध्पीआईओ पुरस्कार) और प्रवासी लोगों के मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करें। यह कार्यक्रम 2003 से हर साल आयोजित किया जाता है, और इसे प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) द्वारा प्रायोजित किया जाता है, शुरुआत में फिक्की द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टाक–2019 (The International Migrant Stock&2019) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1.75 करोड़ है। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत, मैक्सिको और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रवासियों की कुल संख्या वर्तमान आबादी का 3.5 प्रतिशत है। नौकरी, उद्योग, व्यापार और दूसरे अन्य कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने वालों में भारतीयों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है।

दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर अनेक देशों के कानून और अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने वाली संस्थाओं का प्रमुख हिस्सा बनने में भारतीय कामयाब रहे हैं। इस आलेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी भारतीय किस तरीके से एक नई ताकत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे हैं और अलग–अलग देशों में भारत के रिश्तों को लेकर उनकी भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण है साथ ही यह भी जानेंगे कि पिछले एक दशक में भारत ने किस प्रकार उनका समर्थन हासिल किया है और उसके क्या परिणाम रहे हैं।

देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्त्व को मान्यता देने और देश से जुड़ने हेतु मंच प्रदान करने के लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिये महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यदि किसी विदेश दौरे पर जाता है तो वह उस देश में रह रहे प्रवासी भारतीयों के बीच अवश्य जाते हैं। इससे प्रवासी भारतीयों के मन में अपनेपन की भावना जन्म लेती है और वे भारत की ओर आकर्षित होते हैं। भारतीय 'ब्रेन–ड्रेन' को 'ब्रेन–गेन' में बदलने के लिये भारत सरकार विदेश में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में जाने वाले कामगारों के लिये 'अधिकतम सुविधा' और 'न्यूनतम असुविधा' सुनिश्चित करना चाहती है।

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य, प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना है। प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिये एक मंच उपलब्ध कराना। विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना। युवा पीढ़ी को प्रवासियों से जोड़ना तथा विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयाँ जानना तथा उन्हें दूर करने के प्रयास करना।

खाड़ी देशों में लगभग 8.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटता इसे भारतीयों के लिये एक सुविधाजनक स्थान बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 4 मिलियन भारतीय रहते हैं। यहाँ मैक्सिको के बाद भारतीयों का दूसरा सबसे अधिक संकेंद्रण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020 के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका रहेगी। इसके अतिरिक्त कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, मारीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के लिये किया गया महात्मा गांधी का संघर्ष आधुनिक भारत में प्रवासी भारतीयों से स्वयं को जोड़ने के लिये एक प्रेरणादायक किंवदंती बन गया। प्रवासी भारतीय प्रमुख देशों के राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के बीच भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिये एक वाहक बन गए।

प्रवासन का कार्य केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सांस्कृतिक विस्तार भी है। सिख समुदाय भारत के सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। ये यूके, कनाडा और कई अन्य देशों में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित करा रहे हैं। किसी अन्य देश में निवास कर रहे कर्मचारी द्वारा अपने देश में किसी व्यक्ति को पैसे का हस्तांतरण करना ही प्रेषण है। प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया पैसा विकासशील देशों के सबसे बड़े वित्तीय प्रवाह में से एक है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2018 में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने के साथ भारत ने दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्त्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह प्रवासी निवेश को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 'परिवर्तन के वाहक' के रूप में कार्य करता है।

सक्रिय प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों के पोषण और सामाजिक–आर्थिक विकास में वृद्धि करने में प्रमुख योगदान तकनीकी क्षेत्र का भी रहा है। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय मूल के व्यक्ति निर्णायक पदों पर आसीन हैं। जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको इत्यादि शामिल हैं।

प्रवासी भारतीयों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एक वास्तविकता बन सकती है। भारत ने नवंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पुनर्नियुक्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र में दो–तिहाई मत हासिल कर अपने राजनयिक प्रभाव का प्रदर्शन किया। राजनीतिक दबाव, मंत्रिस्तरीय और राजनयिक स्तर की पैरवी के अलावा भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन करने के लिये विभिन्न देशों में मौजूद अपने प्रवासी भारतीय समुदाय का लाभ उठा सकता है। एक बड़े प्रवासी समूह के होने से अमूर्त लेकिन महत्त्वपूर्ण लाभ 'प्रवासी कूटनीति' है। ऐतिहासिक रूप से भारत को अपने प्रवासी भारतीयों से लाभ हुआ है। चाहे वह

विदेशों से भेजे गए प्रेषण के रूप में हो या वर्ष 2008 में यूएस–इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल की पैरवी।
वर्ष 2004 में प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय' की स्थापना की है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ और उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

**भारत को जानें कार्यक्रम–** भारत को जानें कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 26 आयु वर्ग के प्रवासी युवाओं को देश के विकास और उपलब्धियों से परिचित कराना और उन्हें उनके मूल देश से भावनात्मक रूप से जोड़ना है।

**भारत का अध्ययन कार्यक्रम–** भारत का अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विकास से परिचित कराने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों मे लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।

**प्रवासी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासियों और गैर–प्रवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मानविकी, वाणिज्य, प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि और पशु पालन आदि विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 100 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र चार हजार अमेररिकी डॉलर तक की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**प्रवासी भारतीय बीमा योजना–** इस योजना के तहत विदेशगमन की अनुमति मिलने के बाद रोजगार के लिये विदेश गए प्रवासी भारतीय की मृत्यु अथवा विकलांगता पर नामितध्आधिकारिक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है।

**महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना–** इस योजना को प्रायोगिक तौर पर 1 मई, 2012 को केरल में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विदेशी भारतीय कामगारों को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त वापसी एवं पुर्नवास की सुरक्षा, उनके पेंशन की सुरक्षा और प्राकृतिक मौत की दशा में जीवन बीमा लाभ दिलाने में सरकार के द्वारा मदद प्रदान करना है।
देश के विकास में भारतवंशियों का योगदान अविस्मरणीय है इसलिए साल 2015 के बाद से हर दो साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है. 2006 में 9 जनवरी को हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) की अवधारणा शुरू की गई थी। 2014 में प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें 51 देशों के 1,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए . 2013 में 11वां प्रवासी भारतीय दिवस 7–9 जनवरी को कोच्चि में आयोजित किया गया था, जहां इंडो–कनाडा चौंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसीसी) शिखर सम्मेलन का आयोजन भागीदार है। मॉरीशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुर्रयाग आधिकारिक उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। कनाडाई मंत्री जेसन केनी सभा को संबोधित करने वाले गैर–भारतीय विरासत के पहले व्यक्ति बने। 12वां प्रवासी भारतीय दिवस 7–9 जनवरी 2014 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय था एंगेजिंग डायस्पोराः कनेक्टिंग अक्रॉस जेनरेशन। 13वां प्रवासी भारतीय दिवस 7–9 जनवरी 2015 के दौरान महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। इस वर्ष की थीम ''अपना भारत, अपना गौरव'' थी। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो 7–9 जनवरी 2016 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होना था, इस आयोजन को द्विवार्षिक बनाने के विदेश मंत्रालय के निर्णय के तहत रद्द कर दिया गया था। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस 7–9 जनवरी 2017 के दौरान बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव को फिर से परिभाषित करना था। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 6–7 जनवरी 2018 के दौरान मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 21–23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी में आयोजित किया गया था। मॉरीशस के प्रधानमंत्री, प्रविंद जुगनौथ सम्मानित अतिथि थे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8–10 जनवरी तक इंदौर में आयोजित किया गया था

## संदर्भ सुचि


1. https://www.mea.gov.in/pravasi-bharatiya-divas
2. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/the-ambit-and-the-limits-of-diaspora-diplomacy
3. https://hindicurrentaffairs.adda247.com/nation-celebrates-17th-pravasi-bhartiya-divas-on-9th-january-2023/
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Pravasi_Bharatiya_Divas
5. https://pravasindians.com/history-of-indian-diaspora-in-usa/